# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

**पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)**

## अपील संख्या– 2021/159

1. रमेश पुत्र माधोलाल जाति चमार निवासी ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. देवलाल पुत्र माधोलाल जाति चमार निवासी ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. शोभाराम पुत्र माधोलाल जाति चमार निवासी ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. धापूबाई पुत्री माधोलाल जाति चमार निवासी ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

**– अपीलांटगण**

**बनाम**

1. मांगीलाल वल्द रामा जाति चमार निवासी ग्राम कोल्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
2. रतनलाल वल्द रामा जाति चमार निवासी ग्राम कोल्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
3. प्रभूलाल वल्द रामा जाति चमार निवासी ग्राम कोल्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
4. स्व0 राधा वल्दा उदा जाति चमार निवासिनी ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)। जर्ये कायम मुकामान–
   (ए) सन्तीबाई पुत्री राधा उर्फ राधू जाति चमार निवासी ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
   (बी) कमलीबाई पुत्री राधा उर्फ राधू जाति चमार निवासी ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

**–रेस्पोडेन्टगण**

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री रामप्रसाद नागर– अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय दिनांक 27.09.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 88/2009 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा वादीगण द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89.92 (ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम न्यामतखेडी तहसील रामगंज मंडी में खातेदार रामा बेटा गंगा जति चमार निवासी मन्डा तहसील रामगंज मंडी के नाम राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1093/128 कि रक्चा 2 बीघा 7 विस्वा खसरा नम्बर 1449/ 241 242 251 252 कि रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा तथा अन्य खसरा नम्बर की भूमि स्थित रही है इन्तकाल नम्बर 707 संलगन है । तहसील रामगंज मंडी में बन्दोबस्त कार्य होने से आर जी के खसरा नम्बर परिवर्तित कर दिये गये है मुतबिक बन्दोवस्त सम्वत 2014 से 33 उक्त भूमि के खसरा नम्बर 93 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 440 कि रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कायम किये गये है नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त 2014 से 33 एंव नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम न्यामतखेड़ी आराजी वाद के साथ संलग्न है । खातेदार रामा वल्द गंगा चमार निवासी मन्डा अपने जीवन काल में ही उसके खाते एंव कब्जे कि आराजी को 95 अक्षर रूपये पिच्यानवे में बेचाने कर भूमि पर कब्जा भी वादीगण के पिता तथा काका राधा चमार को बैचान कर कब्जा भी उसी समय सम्भलाया जा चुका है तथा खातेदार रामा द्वारा उक्त सम्बन्ध में मेहक्म खास में उपस्थित कर भुमि को बैचान करने तथा राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु इन्तकाल भी वादीगण के पिता एंव प्रतिवादी नम्बर 5 के नाम दर्ज करवा चुका है नकल इन्तकाल नम्बर 707 दिनांक 26.06.1954 साथ संलग्न है । वादीगण के पिता वादग्रस्त आराजी मुतनाजा वाद पत्र नम्बर 1 व 2 में वर्णित तथा अन्य आराजियात खातेदार रामा चमार निवासी मन्डा पर दर्ज 1954 से ही वादीगण के मृतक पिता माघो तथा प्रतिवादी नम्बर 5 का निरन्तर निर्बाध रूप से भुमि पर कब्जा चला जा रहा है इस बीच कभी प्रतिवादी मृतक रामा तथा उसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 का उक्त भूमि पर कब्जा नही रहा है । वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता एंव प्रतिवादी नम्बर 5 के

खरीद किये जाने से आज तक कब्जे में चल रही है वादीगण कानुनन वाद ग्रस्त भूमि खरीद एव कब्जे मुखालफाना के आधार पर उक्त वर्णित आराजियात को स्वयं के नाम खातेदार कृषक घोषित करने के अधिकारी है । इन्तकाल नम्बर 707 दिनांक 26.06.1954 आज भी प्रभावी है लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा सहबन से उक्त इन्तकाल का अमल राजस्व रिकार्ड में न कर जमाबंदी में नोट अंकित नहीं किया गया इस करण उक्त इन्तकाल का अमल ना होने से वाद ग्रस्त भुमि आज भी खातेदार मृतक रामा वल्द गंगा चमार निवासी ग्राम मन्डा के नाम ही चली आ रही है जिसे वादीगण एंव प्रतिवादी नम्बर 5 दुरुस्त करवाने के कानूनन अधिकारी हैं । वाद ग्रस्त भुमि का खातेदार रामा वल्द गंगा चमार के इन्तकाल हो जाने के बाद प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 उसके वारिसान राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवा वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 5 को वादग्रस्त भमि से बेदखल करने एंव भनि को खुर्द बुर्द रहन बैय व हर प्रकार से मुन्तकिल करने का प्रयासरत है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के दिल में बदनियती आ जाने से वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे कारत में आये दिन मदाखलत व मजाहमत करने का प्रयासरत है तथा आये दिन वादीगण को धमकी देते है कि उक्त भमि पर को हम भी कब्जा करके रहेंगे जथा वादीगण को किसी भी कीमत पर भूमि को कब्जा काश्त नहीं करने देंगे। उक्त कारणो से बादीगण एंव प्रतिवादी नम्बर 5 के लिये यह आवश्यक हो गया कि माननीय न्यालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत कर इस आशय कि डिकी हसिल करे कि प्रतिबादीगण 1 ता 3 वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार कि मदाखलत व मजाहमत न करे ना ही भूमि को स्वयं के नाम दर्ज कर कहीं रहन व बैय करने को प्रयास न करे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 5 को वादग्रस्त भमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने तथा भूमि पर कब्जा किसी प्रकार का दखल न करने हेतु डिकी प्राप्त करना वादीगण के लिये आवश्याक होगा इस कारण वाद पेश किया जा रहा है । वाद कारण प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 द्वारा 25.09.2009 को पटवारी के समक्ष उपस्थित होकर अमल राजस्व रिकार्ड में करवाने का प्रयास करने तथा वादीगण के कब्जे में हस्ताक्षेप करने का प्रयास करने पर पैदा हुआ । अन्त में वादीगण के एंव प्रतिवादी नम्बर 5 के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3 के विरूद्ध इस आशय कि डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया कि वादपत्र कि मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित आरजियात वाके ग्राम न्यामतखेडी तहसील रामगंज मंडी जो राजस्व रिकार्ड में रामा वल्द गंगा चमार निवासी मन्डा के नाम दर्ज को खारिज कर वादीगण एंव प्रतिवादी नम्बर 5 को उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने कि डिग्री पारित फरमाई जावें । वाद पत्र कि मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित आराजियात को प्रतिवादीगण रहन या बैय या अन्य किसी तरीके से रहन व बैय नहीं करने तथा वादीगण

के कब्जे काश्त में किसी प्रकार कि कोई मदाखलत व मजाहमत नहीं करने तथा ऐसा कृत्य स्वयं करे ना ही अपने किन्ही एजेन्टो से करावें तथा वादीगण को उक्त भूमि पर शान्ति पूर्वक काश्त करते रहने दे तथा राजस्व रिकार्ड में कोई अमल दर्ज नही करे, इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा कि डिक्री प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के विरूद्ध पारित किये जाने का निवेदन किया । वाद पत्र कि मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित आरजियात वाके ग्राम न्यामतखेडी तहसील रामगंज मंडी स्थित है जिस पर वादीगण का कब्जा होने से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के विधिक प्रकिया अपनाएं बिना वाद ग्रस्त भूमि से वादीगण को बैदखल ना करे इस हेतु डिग्री वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध पारित किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। दिनांक 18.02.2020 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत की। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4(ए) व 4(बी) को जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस को एक माह से अधिक का समय हो जाने से तामील मानी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4(ए) व 4(बी) बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4(ए) व 4(बी) बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2020 की प्रमाणित नकले दिनांक 19.02.2020 के आवेदन पर दिनांक 28.02.2020 को प्राप्त हुई है। इसके बाद अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित मियाद दो माह अर्थात 18.04.2020 से पूर्व ही माह मार्च 2020 से ही कोरोना लोकडाउन के कारण न्यायालय का सामान्य कार्य भी

बन्द हो जाने से उक्त अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी है तथा जब लोकडाउन अवधि समाप्त होते ही अविलंब यह अपील प्रस्तुत है। अन्त में दिनांक 28.02.2020 से कोरोना लोकडाउन समय होने से आज दिनांक तक की अवधि को कन्डोन कर उक्त अपील अवधि मध्य स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलांट के प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं है, जिन्हें अपीलांट प्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज होने से साक्ष्य में भी पढ़े जाने योग्य है। अन्त में उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

8. हमने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं है। उक्त दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में लिखित बहस व अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पत्रावली पर वाद–पत्र के समर्थन में वादीगण की ओर से पर्याप्त दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य उपलब्ध होने तथा उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण को खारिज करने के साथ ही दावा वादीगण भी खारिज करने में गम्भीर

कानूनी त्रुटि की है तथा उक्त निर्णय एवं डिक्री न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्त कर दावा बहक वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की प्लीडिंग्स के आधार पर कायम की गई तनकीहात में से बाद बिन्दु नं0 1, 3, 4, 5 व 6 खिलाफ वादीगण तय करते हुए वाद बिन्दु नं0–2 "पूर्व खातेदार रामा ने वैचान करने पर महकमा खास में उपस्थित होकर भूमि का बेचान करने तथा राजस्व रेकार्ड में अमल करने का इन्तकाल वादीगण के पिता एवम् प्रतिवादी नं0–5 के नाम दर्ज करवा चुका है" को वादीगण के पक्ष में तय करते हुए भी बाबा वादीगण खारिज करने में गम्भीर कानूनी भूल की गई है चूंकि बाद बिन्दु नं० 2 वादीगण के पक्ष में साबित होना निर्णीत करने पर इन्तकाल नं0–73, दिनांक 26.06.1954 के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादीगण बहैसियत क्रेता वैध रूप से खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना स्वीकार करते हुए उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करवाकर उनके पक्ष में बेदखली की डिक्री पारित किये जाने की प्रार्थना की गई है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु नं0–7 में वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा होना मानकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण को खारिज किया गया है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री (Self contradictory) होने से अपास्त होने योग्य है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व दिनांक 26.06.1954 से निरन्तर बहैसियत क्रेता कब्जा काश्त कर रहा है तथा इसके बाद उक्त आराजी से बेदखल करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है। इसके बावजूद भी तत्कालीन कोटा स्टेट सरक्यूलर नं0–3 के प्रावधानों के विपरीत राजस्व रेकार्ड में दर्ज इन्तकाल नं0–73 दिनांक 26.06.1954 पूर्णतः वैध रूप से अनरजिस्टर्ड बेचान होते हुए भी सौ रूपयों से कम राशि केवल 95/– रूपये में स्वयं खातेदार रामा के कथन मुताबिक वादीगण के पिता व काका के पक्ष में तस्दीक हो जाने के बाद भी वादीगण को खातेदार घोषित न किया जाना सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटान वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 6 तथा शपथ पत्र की साक्ष्य शोभाराम, रमेश व रतनलाल के खण्डन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न होते हुए भी पूर्णतः गलत रूप से दावा वादीगण खारिज कर दिया है जबकि दावावादीगण उनकी प्रार्थना के मुताबिक वाद विनदु नं0–2 व 7 के आधार पर डिक्री किये जाने योग्य है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा इन्तकाल नं0–73 दिनांक 26.06.1954 को वैध रूप से तस्दीक हो जाने के बाद भी राजस्व जमाबंदी में अंकन न किया जाने मात्र से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल स्व० विक्रेता खातेदार रामा के वारिसान को फौती इंतकाल के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार होना मान

लिया है जबकि पूर्व खातेदार रामा द्वारा उक्त भूमि विक्रय कर चुकने के बाद उसके खातेदारी अधिकार दिनांक 26.06.1954 को ही समाप्त हो जाने से उक्त भूमि पर उसके वारिसान के पक्ष में उक्त भूमि का फौती इंतकाल तस्दीक किया जाना कानूनन शून्य एवं निरर्थक है तथा बन्दोबस्त विभाग पूर्व इन्द्रजात को यथावत् दर्ज करने को बाध्य है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु नं0–2 व 7 के निर्णय के विपरीत दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री न किया जाना सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अपीलांटगण वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 440 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 1993/128 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1149/241, 242, 251, 252 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि को दिनांक 26.05.1954 को जर्ये इंतकाल नम्बर 707 खातेदार रामा वल्द गंगा चमार निवासी ग्राम मंडा द्वारा उसके जीवनकाल में ही वादीगण अपीलांटगण के पिता तथा काका माधो व राधा चमार को 95 रूपयों में बेचान कर कब्जा भी उसी समय संभला व स्वीकार किया था। उक्त सम्बंध में दिनांक 26.05.1954 को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व ही तत्कालीन स्टेट सरक्यूलर नं. 3 कोटा रियासत की नियम 49 के नियमानुसार तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा इंतकाल नम्बर 707 तस्दीक किया गया है और उक्त इंतकाल मुताबिक तत्कालीन जमाबंदी सम्वत् 2012 ता 2015 में वादीगण अपीलांटगण के पिता माधो, राधा वल्द उदा चमार बास गांव न्यामतखेड़ी जर्ये इंतकाल नं. 707 भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जा चुका था। किन्तु इसके बाद बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा उक्त इन्तकाल नम्बर 707 के इन्द्राज के स्थान पर पुनः सहवन से ही रामा वल्द गंगा चमार को ही गलती से पूर्ववत खातेदार दर्ज कर दिया, जिसका फायदा उठाकर स्वर्गीय खातेदार रामा वल्द गंगा चमार के वारिसान प्रतिवादीगण/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 उसके स्थान पर फौती इंतकाल दर्ज करवाकर वादीगण को बेदखल करने की धमकियां देने पर वादीगण अपीलांटगण द्वारा उन्हे वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित करवाये जाने तथा स्व0 खातेदार रामा वल्द गंगा के वारिसान के नाम फोती इंतकाल दर्ज नहीं कर उनके विरूद्ध वादीगण/अपीलांट वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करने व उक्त भूमि को बेचान व खुर्द–बुर्द न करने संबंधी निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा उन्हे कब्जा दिलवाने की प्रार्थना की गई। वादपत्र तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादीगण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 8 तनकीयात कायम कर वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा वादीगण/अपीलांट का मानते हुए भी केवल इंतकाल नम्बर 707 दिनांक 26.05.1954 को बिना किसी तहरीरी बेचान के, केवल मौखिक बेचान होना मानकर गलत रूप से तस्दीक

किया जाना निर्णित कर तत्कालीन कोटा रियासत के सरक्यूलर नं. 3 के नियम 49 का अवलोकन किये बिना ही तनकी संख्या 1 से 4 का निर्णय वादीगण अपीलांट के विरुद्ध कर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वादीगण अपीलांट का निरन्तर मानते हुए भी दावा वादीगण खारिज कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने से उनके द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम भी खारिज कर देने से केवल वादीगण अपीलांट द्वारा ही उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलांट द्वारा इंतकाल नम्बर 707 दिनांक 26.05.1954 ग्राम न्यामतखेड़ी तथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 की प्रमाणित प्रतिलिपियां माननीय न्यायालय में आवश्यक एंव महत्वपूर्ण प्रासंगिक लोक दस्तावेज होने से दिनांक 20.06.2023 को अंतिम बहस से पूर्व प्रस्तुत की गई है। उक्त इंतकाल संख्या 707 दिनांक 26.05.1954 के बाबत् राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व कोटा रियासत में लागू सरक्यूलर नं. 3 का नियम 49 निम्न प्रकार है, हर सख्स जिसे विरासत, तकसीम, खरीद, रहन, हिब्बा, पट्टा, किसी और जरिया से किसी आराजी में हक, काश्त या कब्जा पैदा हो उसे और वह नाबालिग या नाकाबिल है तो उसके वली या महनमिम जायदाद को लागू होगा कि जुबानी या तहरीरी इत्तला उसकी पटवारी को तीन माह के अन्दर या आखिर मार्च जमाना टीप कर कर देवे और पटवारी बिला लवक्कुफ ऐसी इत्तला को रजिस्टर इन्तकालात में दर्ज कर इत्तला दिहन्दा को एक छपी हुई रसीद धारा 47 सरक्यूलर नं. 2 के मुताबिक दे देवेगा। उपरोक्त नियम 49 के मुताबिक तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 26.05.1954 को वादग्रस्त भूमि का बेचान 70+15=95/– रूपये अदायगी होने पर पक्षकारों द्वार उक्त तथ्य स्वीकार करने पर सही रूप से दर्ज किया गया है, जिसका इन्द्राज भी जमाबंदी सम्वत् 2012 ता 2015 में समय पर बंदोबस्त से पूर्व किया हुआ है, किन्तु बाद बन्दोबस्त सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा संहवन से वापस खातेदार रामा वल्द गंगा चमार का नाम दर्ज किये जाने से तथा रामा के वारिसान प्रतिवादीगण द्वारा बदनियति से उक्त बेचान अस्वीकार कर स्वर्गीय रामा का फौती नामा0 उनके नाम दर्ज करवाने तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर उक्त वाद कारण पैदा होने पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5, 6, 7 प्रतिवादीगण के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने से खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित कर उनका काउंटर क्लेम भी खारिज किया गया है तथा तनकी संख्या 1 के सम्बंध में उक्त विवेचन मुताबिक वादीगण अपीलांटगण के पिता माधो, राधा वल्द उदा के पक्ष में कोटा रियासत सरक्यूलर नं. 3 के नियम 49 मुताबिक इंतकाल नं. 707 तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर सही रूप से तस्दीक किया जाकर पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2012 ता 2015 के मुताबिक वादग्रस्त भूमि के केता माधो, राधा वल्द उदा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने तथा निरन्तर

वादीगण अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अपीलांटगण के वारिसान केता माधो, राधा को खातेदार घोषित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2020 को निरस्त किये जाना न्यायसंगत है। अन्त मे अपील अपलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2020 को खारिज किये जाने तथा अपीलांटगण को वादग्रस्त भूमि ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी हाल खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 440 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा पर खातेदार घोषित कर राजस्व जमाबंदी से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण नं0– 1 ता 3 का नाम हटाया जाकर उनके विरूद्ध अपीलांटगण वादीगण के पक्ष में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व महाहमत न किये जाने के आशय की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत् 2008 से 2010 की है जिसके अनुसार ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की किता 2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि खातेदार रामा बेटा गांगा जात चमार बास मंडा दर्ज है तथा माधा व राधा का नाम उक्त जमाबंदी में जैली के रूप में दर्ज है। नकल रजिस्टर इन्तकाल मौजा न्यामतखेड़ी निजामत रामगंजमण्डी की है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 707 से खाता संख्या 73 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1093/128, 1449/241,242,251,252 किता 2 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि में रामा वल्द गंगा चमार मंडा के स्थान पर माधो राधा वल्द उदा चमार बास गावं दर्ज होने का अंकन है तथा इस पर प्रदर्श–2 अंकित है। सत्य प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2014 से 2033 की है जिसके अनुसार ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खाता संख्या 92 की खसरा नम्बर 61, 62, 81, 93, 440 किता 5 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि खातेदार रामा वल्द गंगा चमार सा. मंडा की खातेदारी में दर्ज होने का अंकन है तथा इस पर प्रदर्श–2 अंकित है। प्रदर्श–3 शुद्ध प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की है जिसके अनुसार गत खसरा नम्बर 128 के नवीन खसरा नम्बर 92, 94, 95, 93 तथा खसरा नम्बर 241 व 242 के नवीन नम्बर 440, खसरा नम्बर 243 के नवीन नम्बर 439, 474, 475, खसरा नम्बर 251 के नवीन नम्बर 412, 411, 440, 439, 441, 410, 421 बने होना अंकित है। प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 की है जिसके अनुसार ग्राम नियामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की खाता संख्या 154 की खसरा नम्बर 61, 68, 81, 93, 440 किता 5 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि रामा आ. गंगा जाति चमार सा. मंडा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–5 प्रमाणित फोटोप्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 से 2020 की है जिसके अनुसार ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 61, 68, 81, 93, 440 में कृषक के नाम के कॉलम संख्या 6 में रामा वल्द गंगा चमार मंडा तथा विशेष विवरण के कॉलम

संख्या 24 में उपकृषक माधो राधु चमार का नाम अंकित है। प्रदर्श–6 प्रमाणित फोटोप्रति खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 से 2032 की है जिसके अनुसार ग्राम न्यामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 61, 68, 81, 93, 440 में कृषक के नाम के कॉलम संख्या 6 में रामा पि. गंगा कौम चमार सा. मंडा अंकित है। न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न प्रमाणित फोटोप्रति नामान्तरकरण संख्या 707 ग्राम नियामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1093/128 व खसरा नम्बर 1449/241,242,251,252 किता 3 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि में रामा वल्द गांगा चमार मंडा के स्थान पर माधो राधा वल्द उदा चमार बास गावं दर्ज होने का अंकन है। प्रमाणित फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 की है जिसके अनुसार ग्राम नियामतखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की खाता संख्या 64 की खसरा नम्बर 1093/128 व खसरा नम्बर 1449/241,242,251,252 किता 2 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि माधो, राधा वल्द उद्धा चमार बास गांव की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति सरक्युलर नम्बर 3 सीगा माल राज कोटा बाबत जमैयत व वसूली की है। अतः विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटगण के पिता माधोलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 राधा का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जैली के रूप में दर्ज था। चूंकि जैली खातेदार नहीं होकर उपकृषक की श्रेणी में आता है तथा केवल जैली के रूप में दर्ज होने से खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं हो सकते। अपीलांटगण का यह कथन है कि उनके पिता माधो तथा राधा द्वारा विवादित भूमि खातेदार रामा वल्द गांगा से कय की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 707 से विवादित भूमि माधो तथा राधा की खातेदारी मे दर्ज हुई। यहां यह भी विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अपीलांटगण के पिता माधो तथा राधा जैली है अथवा खरीददार/केता है। उक्त नामान्तरकरण में न तो कोई लिखित दरख्वास्त/प्रार्थना–पत्र संलग्न है तथा न ही अपीलांटगण ने ऐसा कोई लिखित दस्तावेज पेश किया है जिसमें रामा की और से विवादित भूमि का विकय किये जाने व केता के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन किये जाने का अंकन हो। हमारे मत में उक्त नामान्तरकरण बिना किसी लिखित दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया है। साथ ही हमारे समक्ष विकय के संबधं में भी कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिससे उक्त विकय भी संदेहास्पद होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि कोटा सरक्युलर नं. 3 की धारा 49 मौखिक विकय को मान्यता देती है। हमने कोटा सरक्युलर नं. 3 का अवलोकन किया। कोटा सरक्युलर नं. 3 की धारा 49 के अनुसार यदि किसी आराजी में खरीद से हक काश्त या कब्जा पैदा हो तो उसकी जुबानी या तहरीरी इत्तला पटवारी को तीन माह के अन्दर या आखीर मार्च जमाना टीप तक करना आवश्यक है, साथ ही पटवारी बिला तवक्कुफ ऐसी इत्तला को रजिस्टर इन्तकालात में दर्ज करके इत्तला दिहन्दा को एक छपी हुई रसीद धारा 47 सरक्युलर नम्बर 2 के मुताबिक दे देवेगा। हमारे समक्ष ऐसी कोई रसीद प्रस्तुत नहीं हुई है। अतः हमारे मत में कोटा सर्कुलर नं. 3 की धारा 49 की संपूर्ण प्रकिया को साबित करने में अपीलांट असफल रहे है। विवादित भूमि लम्बे समये से राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। कब्जे काश्त

के संबधं में भी अपीलांटगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 से 2032 में भी रामा वल्द गंगा का नाम अंकित हे। सैटलमेंट विभाग ने किस प्रकार से त्रुटि की है यह भी साबित करने में अपीलांट असफल रहे है। हमने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.02.2020 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 7 तनकीयात कायम की है तथा सभी तनकीयों पर विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारित किया है। इस पैरा के ऊपर किए गए विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी अपने कथनों को साबित करने में असफल रहे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 से 7 में पारित निष्कर्ष से हम सहमत है। उपर्युक्त विवेचन के पश्चात तनकीवार निर्णय पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 88/2009 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2020 यथावत रखी जाती है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार )
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा